



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/ 115-720/ 1243

रायपुर, दिनांक 15/06/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय: - **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha. reg.**

पंजीयन क्रमांक - FP/CG (Road) 27773/2017

- संदर्भ: 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-22/ 2019/ 10-2 दिनांक 24.07.2020
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 32/ 2021/ 1463 दिनांक 21.05.2021

= 0 =

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से शासन के प्रेक्षा अनुसार बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्ति बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.45 में लेख अनुसार विषयांकित गैर वानिकी कार्य के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगूनें नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ) कक्ष क्रमांक 1474 को प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश पुस्तिका के अध्याय-2 के पैरा 4.1 अनुसार वन विभाग के अधिपत्य के लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। अतः कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के बाहर के भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित करें।	भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए जारी दिशा-निर्देश पुस्तिका वर्ष 2019 के अध्याय-2 के पैरा 2.4.(प) में दिये गये निर्देशानुसार वन विभाग के अधिपत्य में लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, परन्तु प्रस्ताव के विरुद्ध पूर्व में नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ) कक्ष क्रमांक 1474 को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया था। भारत सरकार के दिशा-निर्देश पुस्तिका वर्ष 2019 के अध्याय-4 के पैरा 4.4.1 के तहत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में शासन के 14 प्रकार के विकासोन्मुखी कार्य हेतु 40.00 हे. तक के कार्यों के लिए सामान्य अनुमोदन का अधिकार राज्य शासन को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा चिन्हित वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले के अंतर्गत कांकेर जिला भी सम्मिलित है तथा वामपंथ उग्रवाद जिले में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण कार्य हेतु प्रबंधित

क्र.	आपत्ति बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
		<p>14 कार्यों में अध्याय-4 के पैरा 4.4.1 (a) में School and Educational Institutes को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.11-9/98-FC दिनांक 16.06.2011 अनुसार रकबा 5.00 हे. तक के व्यपवर्तन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है, अपितु अध्याय-4 के पैरा 4.4.3 के अनुसार प्रति हेक्टर 50 वृक्ष से कम वृक्ष विद्यमान होने पर अध्याय-2 पैरा 2.6 (i) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार विदोहन हेतु प्रस्तावित वृक्ष के 10 गुना पौध का वृक्षारोपण आवेदक विभाग से वृक्षारोपण प्राक्कलन के आधार पर राशि प्राप्त कर रोपण कार्य किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>प्रकरण में प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्तावित स्थल में पूर्व गणना के अनुसार 36 वृक्ष 20 से.मी. गोलाई से अधिक के पाये गये थे, जिसका उल्लेख प्रस्ताव के कण्डिका क्रमांक-12 में किया गया है।</p> <p>पूर्व में 20 से.मी. से कम गोलाई वाले पौधों को गणना में छोड़ा गया था, जो लम्बे समय अंतराल होने कारण वर्तमान में 20 से.मी. से अधिक गोलाई को प्राप्त कर चुके हैं। तदनुसार गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि में प्रभावित वृक्षों का पुनर्गणना कर विदोहन हेतु निर्धारित गणना पत्रक में संशोधित कर कुल 76 नग वृक्षों का गणना पत्रक संलग्न कर प्रेषित है।</p> <p>प्रभावित वृक्ष के विरुद्ध 10 गुना वृक्षारोपण हेतु कांकरे परिक्षेत्र के आर.एफ. 65 में रकबा 1.500 हे. को चिन्हांकन कर 10 वर्षीय सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण कार्य का परियोजना प्राक्कलन राशि रु.19.00 लाख का तैयार कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र के साथ मय परियोजना प्राक्कलन के संलग्न प्रेषित है।</p>
2	<p>भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) अनुसार राज्य को सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति का अधिकार निम्न शर्तों के अधीन दिया गया है :- Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.</p> <p>प्रकरण में चूँकि आवेदक संस्थान को पूर्व में वन अधिकार अधिनियम के तहत व.म.अ. कांकरे द्वारा अपने आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से 0.99 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training संबंधी गैर वानिकी कार्य हेतु</p>	<p>वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकरे को उनके मांग अनुसार व.म.अ. कांकरे द्वारा अपने आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से 0.999 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training Center निर्माण कार्य से संबंधित गैर वानिकी कार्य हेतु विपथन की अनुमति प्रदाय किया गया है, किन्तु विपथित भूमि में शैक्षणिक संस्था में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास, खेल मैदान तथा कार्यालयीन स्टॉफ हेतु आवास निर्माण हेतु भूमि कम होने कारण पुनः प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकरे द्वारा रकबा 3.310 हे. वन भूमि की मांग की गई है। तदनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के</p>

क्र.	आपत्ति बिन्दु	पालन प्रतिवेदन																																																				
	<p>अनुमति प्रदाय किया गया है। उपरोक्त अनुमति के पश्चात प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र दिनांक 27.06.2020 के बिन्दु क्रमांक-4 में लेख अनुसार शासकीय Polytechnic भवन एवं पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। विषयांकित प्रकरण में पूर्व में व.म.अ. द्वारा प्रदायित रकबा 0.99 हे. वन भूमि के साथ-साथ Polytechnic Collage से जुड़े अन्य रिहायशी निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि चाही गई है। अतः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) (न्यूनतम वन भूमि उपयोगिता) के अंतर्गत पर तथ्यात्मक टीप प्रेषित करें।</p>	<p>धारा 3 (2) के तहत पूर्व में विपथित भूमि 0.999 हे. को जोड़कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुल 4.309 हे. का प्रस्ताव तैयार कर आपको प्रेषित की गई हैं।</p> <p>भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 4.1 (e) के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन, छात्रावास, खेल मैदान तथा कार्यालयीन स्टॉफ हेतु आवास निर्माण के लिए मांग की गई भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है, जो प्रस्ताव के पृ.क्र.30 में मदवार उल्लेखित है, जो निम्नानुसार है :-</p> <p>(A) विपथित भूमि 0.999 हे. में किये गये निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name of construction</th> <th>Area(he.)</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Govt. Polytechnic collage Kanker (Building)</td> <td>0.231 he.</td> <td>Completed</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Male Hostel</td> <td>0.600 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Approach road</td> <td>0.135 he.</td> <td>Completed</td> </tr> </tbody> </table> <p>(B) प्रस्तावित भूमि 3.310 हे. में किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name of construction</th> <th>Area he.</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>I Type 8. Nos Quater</td> <td>0.190 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>G Type 4. Nos Quarter</td> <td>0.270 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>F- Type 12. Nos Quarter</td> <td>0.650 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Play Ground (football,cricket, badminton, basketball)</td> <td>1.500 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Principal House</td> <td>0.190 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Girls, Hostel</td> <td>0.400 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ground</td> <td>0.143 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand Total-</td> <td>4.309 he.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रकरण में मांग की गई भूमि की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर वनमंडलाधिकारी द्वारा दी गई टीप से सहमत होते हुए प्रकरण में स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।</p>	No.	Name of construction	Area(he.)	Remark	1	Govt. Polytechnic collage Kanker (Building)	0.231 he.	Completed	2	Male Hostel	0.600 he.	Proposed area	3	Approach road	0.135 he.	Completed	No.	Name of construction	Area he.	Remark	1	I Type 8. Nos Quater	0.190 he.	Proposed area	2	G Type 4. Nos Quarter	0.270 he.	Proposed area	3	F- Type 12. Nos Quarter	0.650 he.	Proposed area	4	Play Ground (football,cricket, badminton, basketball)	1.500 he.	Proposed area	5	Principal House	0.190 he.	Proposed area	6	Girls, Hostel	0.400 he.	Proposed area	7	Ground	0.143 he.	Proposed area	Grand Total-		4.309 he.	
No.	Name of construction	Area(he.)	Remark																																																			
1	Govt. Polytechnic collage Kanker (Building)	0.231 he.	Completed																																																			
2	Male Hostel	0.600 he.	Proposed area																																																			
3	Approach road	0.135 he.	Completed																																																			
No.	Name of construction	Area he.	Remark																																																			
1	I Type 8. Nos Quater	0.190 he.	Proposed area																																																			
2	G Type 4. Nos Quarter	0.270 he.	Proposed area																																																			
3	F- Type 12. Nos Quarter	0.650 he.	Proposed area																																																			
4	Play Ground (football,cricket, badminton, basketball)	1.500 he.	Proposed area																																																			
5	Principal House	0.190 he.	Proposed area																																																			
6	Girls, Hostel	0.400 he.	Proposed area																																																			
7	Ground	0.143 he.	Proposed area																																																			
Grand Total-		4.309 he.																																																				

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त से प्राप्त प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720/1244

रायपुर, दिनांक 15/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, नाथिया नवागांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
O/C छत्तीसगढ़